

संख्या-2579 /नौ-8-2024/002/8/2022-1659291

प्रेषक,

पारस नाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत नागर निकायों को पूर्व में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य नगर निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा विभिन्न नागर निकायों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के आधार पर संबंधित कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उनके सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में पूर्व में धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष 05 नागर निकायों द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य जारी किये गये शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 नागर निकायों को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि चालू कार्यों हेतु (कुल धनराशि रु. 11,11,34,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ ग्यारह लाख चौतीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (लाख में)	प्रथम किशत में अवमुक्त की गई धनराशि (लाख में)	द्वितीय किशत की देय धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पालिका परिषद बहराइच जनपद-बहराइच	शा0सं0-05/9-8-2022-10 डी0डी0यू0 (बजट)/2019, दिनांक 30 मार्च, 2022	400.00	40.00	331.34
2	नगर पंचायत चुरक-घुर्मा जनपद-सोनभद्र	शा0सं0-1201/9-8-21-10 डी0डी0यू0 (बजट)/2019 दिनांक 27 दिसम्बर, 2021	200.00	20.00	180.00

3	नगर पालिका परिषद झीझक जनपद-कानपुर देहात	शा0सं0-114/2023/9-8-23/001-04 डीडीयू बजट/2023 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023	400.00	200.00	200.00
4	नगर पालिका परिषद टूण्डला जनपद-फिरोजाबाद	शा0सं0-2061/2022/001-11डीडीयू-बजट-21, दिनांक 23 फरवरी, 2023	400.00	200.00	200.00
5	नगर पंचायत महमूदपुर माफी जनपद-मुरादाबाद	शा0सं0-2438/9-8-2023-05 बजट/2023, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023	400.00	200.00	200.00
		योग	1800.00	660.00	1111.34

(रूपये ग्यारह करोड़ ग्यारह लाख चौतीस हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि संबंधित नगर निकायों के द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे 07 दिन के अन्दर ई-पेमेण्ट के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।
 - (2) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जायेगी। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि का 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिये धनराशि पुनः कोषागार में दी जाय।
 - (3) संबंधित नागर निकायों को अवमुक्त की जा रही द्वितीय किशत की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31 मार्च, 2025 तक के लिए निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय किशत की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र फोटोग्राफ सहित निदेशक, स्थानीय निकाय एवं महालेखाकार कार्यालय के साथ ही शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - (4) संबंधित नागर निकायों को पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति से संबंधित स्तम्भ-3 में उल्लिखित शासनादेश की शर्तें यथावत् रहेगी।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 11,11,34,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ ग्यारह लाख चौतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखाशीर्षक 2217031930500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभागों को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भस्कीण by

Paras Nath

(पारस नाथ)
अनु सचिव
Date: 05-12-2024 16:40:19